संख्या-4/2024/163/इक्कीस-उर्दू-2/2024/001-21-10025-1-2023-2-10

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2024

विषय:- उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा वर्ष 2024-2025 के संचालन हेतु प्रथम किश्त के रूप में रुपये 1.25 लाख की धनराशि स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा संपन्न कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय प्रावधानित बजट रुपये 2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हज़ार मात्र) के सापेक्ष प्रथम क़िश्त के रूप में रुपये 1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हज़ार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नालिखित नियम व शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- उक्त धनराशि शासन के निर्देशानुसार आपके माध्यम से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा व्यय की जाएगी और परीक्षा सम्बन्धी औपचारिकताओं के पूर्ण होने एवं आवश्यक व्ययों के पश्चात प्रथम क़िश्त की धनराशि का लेखा-जोखा एवं निर्धारित प्रारूप में उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करने के उपरांत दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त धनराशि पर वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के अन्तर्गत निहित प्राविधान लागू होंगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202051020600 राज्य कर्मचारियों को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय – व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/ 2024 /बी -1- 294 / दस- 2024- 231 / 2024, दिनाँक- 04 मार्च, 2024 एवम यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या : 4 / /2024 बी - /607-1 दस- 2024- 231/ 2024 दिनांक 19 जून 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-163/इक्कीस-उर्दू -2024/001-21-10025-1-2023-2-10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल) सेक्टर आडिट, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0/रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उ0प्र0 प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि व्यय का विवरण शिक्षा निदेशक (माध्यिमक) के माध्यंम से शासन को प्रेषित किया जाय।
6. उप शिक्षा निदेशक (उर्दू), उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. वरिष्ठ मुख्य लेखाधिकारी,शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0 प्रयागराज।
10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
11. भाषा (उर्दू) अनुभाग-4
12. नोडल अधिकारी (बजट अलाटमेंट) भाषा विभाग, उ0प्र0शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।